

कार्यालय, चास नगर निगम

चास (बोकारो)

(झारखण्ड अधिनियम 04/2012 शहरी क्षेत्र में विचलित निर्माण को नियमितिकरण शुल्क के माध्यम से नियमितिकरण हेतु झारखण्ड अधिनियम 2011 की धारा 2(ड) में प्रदत्त शक्ति के तहत नियमितिकरण।)

भवन नियमितिकरण परमिट संख्या 04

दिनांक 27/02/18

सेवा में,

मेसर्स किशन कन्सट्रक्शन (श्री संजय कुमार)

पिता - बृजकिशोर कुमार

पता - चीरा चास

विषय :- आवासीय/वाणिज्यिक भवन के विचलित निर्माण को नियमितिकरण की स्वीकृति हेतु मौजा - चास, खाता नं० - 307, प्लॉट नं० 729, रकबा 12.125 डीसमील, गृह प्लान केश नं० 32/02/138/2015-16/REV/04/17

महाशय,

आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में हो0 सं० - चीरा चास पर पारित मानचित्र से विचलित कर निर्मित भवन प्लॉन - Ground Floor (Parking) + 1st Floor (Res.) + 2nd Floor (Res.) + 3rd Floor (Res.) + 4th Floor (Res.) + 5th Floor (Res.) ऊँचाई 16.54 मीटर इकाई 10 अदद के आवासीय भवन का नियमितिकरण निम्न शर्तों पर की जाती है।

1. यह नियमितिकरण पूर्व के परमिट संख्या- 239, दिनांक - 18.01.16 का अयक्रमण होगा।
2. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं समर्पित दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर नियमितिकरण रद्द करतें हुए नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
3. इस योजना के तहत नियमितिकरण का लाभ लेने के फलस्वरूप भविष्य में पुनः नियमितिकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. भवन नियमितिकरण से किसी प्रकार के अधिकार स्वामित्व या अन्य लाभ स्थापित नहीं होगा।
5. अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपकरण अग्निशमन पदाधिकारी के परामर्श से स्थापित कर उसकी जाँच कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अधिकतम छः माह के अन्दर चास नगर निगम के कार्यालय में निश्चित रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. वर्षा जल संचयन की व्यवस्था छः माह के अन्दर सुचारू रूप से स्थापित कर इस कार्यालय से जाँच करा लेगें।
7. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं संरचना के सही रूपांकण अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standard) के साथ-साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
8. नियमितिकरण से उक्त निर्माण से संबंधित किसी भी दिवानी या फौजदारी मुकदमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाकर तथा गलत जानकारी देकर नियमित कराये गए आदेश को वापस ले लिया जाएगा एवं इसके लिए जमा कराया गया शुल्क जब्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के उपर झारखण्ड अधिनियम 2011 संख्या 04/2012 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
10. भवन की संरचना के स्थिरता के मामले में प्रमाण-पत्र देने वाले अनुज्ञापि धारक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
11. झारखण्ड एपार्टमेन्ट एक्ट-2011 में वर्णित संबंधित कण्डिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
12. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी तथा जमीन के आवासीय उपयोग रकबा सक्षम पदाधिकारी से संशोधित कराना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ चास नगर निगम के कार्यालय को विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नहीं दी जाएगी।
13. मानक के अनुसार विधुततारित चालक की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी।
14. इस नियमितिकरण के उपरान्त भवन में किसी प्रकार के निर्माण करने के उपरान्त या उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर नियमितिकरण रद्द करने का अधिकार चास नगर निगम को होगा।
15. भवन निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व श्रम निबंधन कराते हुए झारखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए न्यूनतम लागत (Rs.1400/- प्रति वर्गफीट की दर से) का 1% प्रतिशत उपकर जमा करने की जिम्मेवारी आपकी होगी।
16. G+3 से अधिक भवन निर्माण का ले-आऊट के पूर्व सक्षम एजेन्सी से Soil Bearing Capacity Test कराते हुए उसकी एक प्रति नगर निगम को अवश्य समर्पित करें।
17. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा शोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/सी0एन0टी0 खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
18. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिलिडिंग परमिट को रद्द करने का अधिकार चास नगर निगम को होगा।

ANAG
नगर निवेशक
चास नगर निगम।

GM
27-2-18
कार्यपालक पदाधिकारी
चास नगर निगम।

27/2/18